समक्ष :– माननीय राजस्व मंडल महोदय, म.प्र. ग्वालियर

R 2819-PBR/14

निगरानी याचिका क्रं. :– /14

याचिका प्रस्तुति दिनांक :– 20/08/14

1. कमाल साहब पिता स्व. मेहबुब साहब निवासी मोहल्ला लोहारमंडी, तहसील, शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.

......निगरानीकर्ता / अनावेदक

विरूद्ध

1. मोहम्मद सलीम पिता जहांगीर साहब ..... मूल आवेदक
2. श्रीमति सीमा पति मोहम्मद ~~साहब~~ सलीम ..... संशोधित आवेदक

दोनों निवासी लोहारमंडी बुरहानपुर म.प्र.।

........प्रतिनिगरानीकर्ता / आवेदक

25-8-14

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

निगरानीकर्ता / अनावेदक निवेदन करता है :–

यह निगरानी याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बुरहानपुर म.प्र. के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रं. 3अ / 13 / 2012–13 (मोहम्मद सलीम..... आवेदक विरूद्ध कमाल साहब... अनावेदक) में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 08 / 07 / 2014 से व्यथित एवं पीड़ित होकर प्रस्तुत की हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2819 –पीबीआर/14 जिला बुरहानुपर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–7–14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 3/अ–13/12–13 की सत्य प्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 131 के अंतर्गत रास्ते का प्रकरण विचाराधीन है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 2 के पति मोहम्मद सलीम द्वारा संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदिका कमांक 2 भूमिस्वामी है, अतः तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आवेदन पत्र प्रस्तुति के समय अनावेदिका कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी थी, और मामला एक ही परिवार से संबंधित है, और वाद की विषय वस्तु में भी कोई परिवर्तन नहीं है, व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 (1) (2) का आवेदन पत्र स्वीकार करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका कमांक 2 को पक्षकार बनाने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में होना यह चाहिए	

था कि पहले अनावेदक कमांक 1 प्रकरण वापिस लेते तत्पश्चात नये सिरे से अनावेदिका कमांक 2 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता, कारण उक्त कार्यवाही से अनावश्यक रूप से विवाद की बाहुल्यता बढ़ेगी, और तहसीलदार को संहिता की धारा 131 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण का निराकरण किया जाना है, अतः आवेदक को चाहिए कि वह तकनीकी आधारों पर विवाद की बाहुल्यता न बढ़ाते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष